उत्तरांचल शासन

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

80 वसन्त विहार, फेज–1, देहरादून

अधिसूचना

27 नवम्बर, 2006 ई0

संख्या एफ–9 (3)/आरजी/यूईआरसी/2006/648–उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2003 का अधिनियम 36) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन की दर के अवधारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2004, जो पत्रांक संख्या एफ 9 (3)/आरजी/यूईआरसी/2004/254, दिनांक 14 मई, 2004 द्वारा अधिसूचित किये गये हैं, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–

(1) ये विनियम उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन की दर के अवधारण हेतु निबन्धन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2006 कहलाएँगे।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 3 में संशोधन–

विनियम के वर्तमान उप विनियम (32) के पश्चात् निम्न परिभाषा उप विनियम (33) के रूप में जोड़ी गई है, अर्थातः–

"(33) परिसम्पत्ति की इतिवृत्त लागत से परिसम्पत्ति के निर्माण की वह मूल लागत अभिप्रेत है, जिसमें लागत का वह भाग, यदि कोई है तो, जिसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा या अनुदान, उपहार, सहायता आदि द्वारा पूर्ति की गई हो, सम्मिलित नहीं है।"

[ये विनियम अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तर हैं । किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अंतिम मान्य होंगे।]

आयोग की आज्ञा से,

आनन्द कुमार,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 23–12–2006, भाग–1–क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 ऊर्जा/665–27–12–2006–55 (कम्प्यूटर/रीजियो)।